रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04022021-224925
CG-DL-E-04022021-224925

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 54] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 3, 2021/माघ 14, 1942
No. 54] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 3, 2021/MAGHA 14, 1942

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2021

फा. सं. मानक/ओएंडएफ/अधिसूचना(13)/एफएसएसएआई-2019.—खाद्य सुरक्षा और (मानक विक्रय प्रतिषेध और निर्बंधन) विनियम, 2011 और संशोधन करने के लिए कतिपय विनियमो का प्रारूप खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का विनियम 34) की धारा 92 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार,भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना सं. फा. सं. मानक/ओ और एफ/अधिसूचना(13)/एफएसएसएआई-2019, तारीख 28 अगस्त, 2019 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित किया गया था,जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना में अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध कराई गई थी तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियाँ जनता को तारीख 30 अगस्त, 2019 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त विनियमों के प्रारूप पर जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार कर लिया गया है;

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10122020-223645
CG-DL-E-10122020-223645

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 543] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 10, 2020/अग्रहायण 19, 1942
No. 543] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 10, 2020/AGRAHAYANA 19, 1942

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2020

फा. सं. 15(1)2016/स्कूली बच्चे विनियम/प्रवर्तन/एफ़एसएसएआई.—अधिसूचना संख्यांक फ़ा. सं. 15(1)2016/स्कूली बच्चे विनियम/प्रवर्तन/एफ़एसएसएआई तारीख 4 सितंबर, 2020 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, खाद्य सुरक्षा और मानक (स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित खाद्य और संतुलित आहार) विनियम, 2020 के पृष्ठ संख्या 1-9 में प्रकाशित भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना में-

1. पृष्ठ 2, पंक्ति 1 व 2 में "विनियम 5 के उप विनियम (1) और विनियम 3 के उपविनियम (3)" के स्थान पर "विनियम 3 के उप विनियम (5) और विनियम 5 के उपविनियम (1)" पढ़ा जाएगा।
2. पृष्ठ 2, पंक्ति 34 में "स्कूल अहाता में स्कूल आहार स्वयं बेचने" के स्थान पर "(1) स्कूल अहाता में स्कूल आहार स्वयं बेचने" पढ़ा जाएगा।
3. पृष्ठ 2, पंक्ति 37 में "1) स्कूल अहाता" के स्थान पर "(2) स्कूल अहाता" पढ़ा जाएगा।
4. पृष्ठ 2, पंक्ति 41 में "2) स्कूली शिक्षा" के स्थान पर "(3) स्कूली शिक्षा" पढ़ा जाएगा।
5. पृष्ठ 2, पंक्ति 45 में "3) स्कूल अहाता में" के स्थान पर "(4) स्कूल अहाता में" पढ़ा जाएगा।
6. पृष्ठ 3, पंक्ति 3 में "4) स्कूल प्राधिकरण" के स्थान पर "(5) स्कूल प्राधिकरण" पढ़ा जाएगा।
7. पृष्ठ 3, पंक्ति 6 में "5) स्कूल प्राधिकरण" के स्थान पर "(6) स्कूल प्राधिकरण" पढ़ा जाएगा।

8. पृष्ठ 3, पंक्ति 10 में "6) स्कूल प्राधिकरण" के स्थान पर "(7) स्कूल प्राधिकरण" पढ़ा जाएगा।

9. पृष्ठ 3, पंक्ति 28 में "1) स्कूल परिसर अथवा अहाता में कोई व्यक्ति" के स्थान पर "1) स्कूल परिसर में अथवा स्कूल के गेट से किसी भी दिशा में 50 मीटर के दायरे में स्कूली बच्चों को कोई व्यक्ति" पढ़ा जाएगा।

अरुण सिंघल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./401/2020-21]

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Food Safety and Standards Authority of India)

CORRIGENDA

New Delhi, the 3rd December, 2020

F. No. 15(1) 2016/School Children Regulation/Enf/FSSAI.—In the notification of Food Safety and Standards Authority of India, published in the Gazette of India, at pages 1-9 of Food Safety and Standards (Safe food and balanced diets for children in school) Regulations, 2020, Extraordinary, Part III, Section 4, *vide* notification number F. No. 15 (1) 2016/School Children Regulation/Enf/FSSAI, dated the 4th September, 2020,—

1. Page 6, line 22, *for* "twenty-two months" *read* "twenty-four months"

ARUN SINGHAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./401/2020-21]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA

अत: अब भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण उक्त अधिनियम की धारा 16 के साथ पठित धारा 92 की उप-धारा (2) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बंधन) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1.संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बंधन) द्वितीय संशोधन विनियम, 2021 है।

(2) यह राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवत्त होंगे और खाद्य कारोबार चालक को 1 जनवरी 2022 को या उसके बाद निर्मित सभी उत्पादों के लिए इन विनियमों के सभी उपबंधों का अनुपालन करना होगा।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बंधन), विनियम, 2011 में,-

(1) विनियम 1.2 में, खंड 1 के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात-

"2. "औद्योगिक ट्रांस फैटी एसिड" से मोनोअनसैचुरेटेड और पॉलीअनसेचुरेटेड फैटी एसिड के सभी ज्यामितीय समावयवों, जिनमेंगैर-संयुग्मित जो कम से कम एक मिथाइलीन समूह से बाधित, कार्बन-कार्बन युग्म आबंध ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन मे होते हैं। इनमेंदुग्ध उघोग, मांस, मछली और उनके उत्पादों से ट्रांस-फैटी एसिड शामिल नहीं है।"

(2) विनियम 2.3 के, उपविनियम 2.3.14 में, खंड (20) के पश्चात, निम्नलिखित को अत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

"(21) खाद्य उत्पाद, जिसमें खाद्य तेलों और वसा का उपयोग एक संघटक के रूप में किया जाता है, 1 जनवरी, 2022 से उत्पाद में ट्रांस फ़ैटी एसिड कुल तेलों/वसा के भार से 2% से अधिक नहीं होगा।"

अरुण सिंघल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./488/2020-21]

टिप्पण: मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्या एफ. सं. 2-15015/30/2010 तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए और पश्चातवर्ती निम्न अधिसूचना संख्याकों द्वारा संशोधित किए गएः–

(i) फा. सं. 4/15015/30/2011, तारीख 8 फरवरी, 2013;

(ii) फा. सं. स्टैंडर्डस्/ओ एंड एफ/अधिसूचना(2)/एफएसएसएआई-2016, तारीख 23 अगस्त, 2016;

(iii) फा. सं. स्टैंडर्डस्/एफ एंड वीपी/अधिसूचना(02)/एफएसएसएआई-2016, तारीख 23 अगस्त, 2016;

(iv) फा. सं. स्टैंडर्डस्/ओ एंड एफ/अधिसूचना(8)/एफएसएसएआई-2017, तारीख 31 जुलाई, 2018;

(v) फा. सं. स्टैंडर्डस्/सहयोज्य-2/अधिसूचना/एफएसएसएआई/2018, तारीख 25 जून, 2019;

(vi) फा. सं. स्टैंडर्डस्/साल्ट/विविध/01/एफएसएसएआई-2016(भाग-1), तारीख 25 जून, 2019;

(vii) फा. सं. स्टैंडर्डस्/सहयोज्य-3/अधिसूचना/एफएसएसएआई/2018, तारीख 21 जुलाई, 2020;

(viii) फा. सं. मानक/एगमार्क-बीआईएस/02/एफएसएसएआई-2018, तारीख 20 अक्टूबर, 2020;

(ix) फा. सं. स्टैंडर्ड्स/ओ एण्ड एफ/अधिसूचना(12)/एफएसएसएआई-2019, तारीख 26 अक्टूबर, 2020; और

(x) फा. सं. विनियम/स्टैंडर्डस्-केसरी दाल/एफ.एस.एस.ए.आई.-2020, तारीख 12 जनवरी, 2021.

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 2021

F. No. Stds/O&F/Notification(13)/FSSAI-2019.—Whereas the draft of certain regulations further to amend the Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulations, 2011, was published as required by sub-section (1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), *vide* notification of the Food Safety and Standards Authority of India number File No. Stds/O&F/Notification(13)/FSSAI-2019, dated the 28th August, 2019, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 30th August, 2019;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Food Safety and Standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 92 read with section 16 of the said Act, the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulations, 2011, namely :-

1. **Short title and commencement.**—(1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Second Amendment Regulations, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette and Food Business Operator shall ensure compliance to all the provisions of these regulations for all the products manufactured on or after 1st January, 2022.

2. In the Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulations, 2011,-

(1) in regulation 1.2, after clause 1, the following clause shall be inserted, namely-

"2. "Industrial trans fatty acids" means all the geometrical isomers of monounsaturated and polyunsaturated fatty acids having non-conjugated, interrupted by at least one methylene group, carbon-carbon double bonds in the trans configuration. It excludes trans-fatty acids from dairy, meat, fish and their products.";

(2) in regulation 2.3, in sub-regulation 2.3.14, after clause (20), the following clause shall be inserted, namely-

"(21) Food Products in which edible oils and fats are used as an ingredient shall not contain industrial trans fatty acids more than 2% by mass of the total oils/fats present in the product, on and from 01st January, 2022.".

ARUN SINGHAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./488/2020-21]

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary vide notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and subsequently amended vide notification numbers:

i. F. No. 4/15015/30/2011, dated the 8th February, 2013;

ii. F. No. Stds/O&F/Notification (2)/FSSAI-2016, dated the 23rd August, 2016;

iii. F. No. Stds/F&VP/Notification (02)/FSSAI-2016, dated the 23rd August, 2016;

iv. F. No. Stds/O&F/Notification (8)/FSSAI-2017, dated the 31st July, 2018;

v. F. No. Stds/Additives-2/Notification/FSSAI/2018, dated the 25th June, 2019;

vi. F. No. Stds/Salt/Misc/01/FSSAI-2016 (pt-1), dated the 25th June, 2019;

vii. F. No. Stds/Additive-3/notification/FSSAI/2018, dated 21st July, 2020;

viii. F. No. Stds/Agmark-BIS/02/FSSAI-2018, dated 20th October, 2020:

ix. F. No. Stds/O&F/Notification(12)/FSSAI-2019, dated 26th October, 2020: and

x. F. No. Reg/Stds-Khesari dal/FSSAI-2020, dated 12th January, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04092020-221559
CG-DL-E-04092020-221559

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 355] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 4, 2020/भाद्र 13, 1942
No. 355] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 4, 2020/BHADRA 13, 1942

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2020

फा. सं. 15(1)2016/स्कूली बच्चे विनियम/प्रवर्तन/एफ.एस.एस.ए.आई.—खाद्य सुरक्षा और मानक (स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित खाद्य और स्वास्थ्यकर आहार) विनियम, 2019, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उप–धारा (1) की अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना फा. सं. 15(1)2016/स्कूली बच्चे विनियम/प्रवर्तन/ एफ.एस.एस.ए.आई, तारीख 30 अक्टूबर, 2019 द्वारा प्रकाशित किया गया था जिसमें उन व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थीं उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गईं थी तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियाँ जनता को 04 नवंबर, 2019 को उपलब्ध करा दी गईं थीं;

और उक्त विनियमों के प्रारूप पर जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार कर लिया गया है;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 92 की उप–धारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्,–

विनियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** – (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित खाद्य और संतुलित आहार) विनियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे और खाद्य कारोबारी प्रचालक विनियम 5 के उप विनियम (1) और विनियम 3 के उपविनियम (3) के सिवाय, जिसे राजपत्र में अधिसूचना द्वारा खाद्य प्राधिकरण के रूप में उस तारीख से प्रवृत होगा, नियुक्त किया जाए, इन विनियमों के सभी उपबंधों का अनुपालन 01 जुलाई, 2021 से करेंगे।

2. **परिभाषाएँ,–** (1) जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन बिनियमों में,–

(क) **"अधिनियम"** से खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 अभिप्रेत है;

(ख) **"स्कूली शिक्षा विभाग"** से केंद्रीय अथवा राज्य अथवा संघराज्य क्षेत्र प्रशासन का वह संबंधित नोडल विभाग अभिप्रेत है जो अपने नाम का विचार किए बिना स्कूली शिक्षा का कार्य देखता हो;

(ग) **"खाद्यकर्मी"** से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो पैकेजबंद अथवा बिना पैक किए हुए खाद्य, खाद्य तैयारी के उपस्करों और बर्तनों अथवा खाद्य संपर्क सतहों को सीधे हैंडल करता हो;

(घ) **"खाद्य सुरक्षा"** से यह आश्वासन अभिप्रेत है कि खाद्य उसके आशयित उपयोग के अनुसार मानव उपभोग के लिए स्वीकरणीय है;

(ङ) **"खाद्य सुरक्षा डिस्प्ले बोर्ड"** से वह सूचनात्मक बोर्ड अभिप्रेत है जिसमें खाद्य कारोबारी प्रचालक के खाद्य प्राधिकरण रजिस्ट्रीकरण या अनुज्ञप्ति संख्या, उस द्वारा अपनाई जाने वाली आधारभूत स्वच्छता और सुरक्षा की बातों और उस द्वारा पेश किए गए खाद्य की गुणता और सुरक्षा के बारे में उपभोक्ता की टिप्पणियाँ प्राप्त करने की प्रणाली का उल्लेख हो;

(च) **"खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षक"** से खाद्य कारोबारी प्रचालक द्वारा नियुक्त वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पास खाद्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित वैध खाद्य सुरक्षा प्रमाण–पत्र हो;

(छ) **"संतुलित आहार"** से वह आहार अभिप्रेत है जिससे अनिवार्य पोषक तत्वों सहित सभी पोषक तत्व अपेक्षित मात्रा और उचित अनुपात में मिलें;

(ज) **"स्कूल"** से प्राइवेट एंटीटी, स्थानीय निकायों, सरकार अथवा सरकारी सहायता–प्राप्त संस्थाओं द्वारा संचालित सभी प्रकार के स्कूल अभिप्रेत हैं, चाहे वे पूर्व–प्राथमिक, प्राथमिक, प्रारंभिक, माध्यमिक, डे केयर/क्रैश (शिशुओं/24 माह तक के बच्चों के लिए क्रैश/डे केयर को छोड़कर) हों अथवा बोर्डिंग स्कूल हों;

(झ) **"स्कूल प्राधिकरण"** से संस्था का प्रमुख, जैसे प्रधानाचार्य, मुख्याध्यापक इत्यादि, शासी परिषद्, न्यास अथवा स्कूल के शासन और प्रबंधन के लिए स्थापित अन्य कोई एंटिटी अभिप्रेत है;

(ञ) **"स्कूल अहाता"** से इन विनियमों के प्रयोजन के लिए स्कूल के क्षेत्राधिकार में सम्मिलित सम्पत्ति के वे सभी क्षेत्र अभिप्रेत हैं, जिनमें विद्यार्थी स्कूल के समय में और बोर्डिंग स्कूलों/छात्रावासों के निवासी जा सकें;

(ट) **"स्कूल आहार"** से कैंटीनों/स्कूल के भोजनालय/छात्रावास के किचनों/वेंडिंग मशीनों द्वारा अथवा अन्य किसी पद्धति से स्कूल अहाता में बेचे गए अथवा आपूर्तित सभी खाद्य और बीवरेज अभिप्रेत हैं और इनमें मध्याह्न भोजन के किचनों और स्कूल द्वारा विद्यार्थियों के लिए आपूर्तित सभी भोजन शामिल हैं;

(2) सभी अन्य शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो क्रमशः अधिनियम, नियमों और विनियमों में अभिप्रेत है।

3. स्कूल परिसर में सुरक्षित खाद्य और संतुलित आहार सुनिश्चित कराने के लिए स्कूल प्राधिकरण के उत्तरदायित्व,–

स्कूल अहाता में स्कूल आहार स्वयं बेचने अथवा उसकी आपूर्ति करने वाली स्कूल प्राधिकरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के अधीन खाद्य कारोबारी के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन कराएगी और सुनिश्चित करेगी कि खाद्य सुरक्षित और संतुलित है।

1) स्कूल अहाता में स्कूली आहार बेचने अथवा उसकी आपूर्ति करने वाले किसी खाद्य कारोबारी प्रचालक से कोई अनुबंध अथवा लेन–देन करने वाली स्कूल प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसे खाद्य कारोबारी प्रचालक अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के अंतर्गत विधिवत् रूप से रजिस्ट्रीकृत है अथवा अनुज्ञप्ति प्राप्त है और वह सुनिश्चित करेगी कि खाद्य सुरक्षित और संतुलित है।

2) स्कूली शिक्षा विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि मध्याह्न भोजन योजना के प्रचालन के लिए उस प्रचालक द्वारा अनुबंधित सभी खाद्य कारोबारी अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के अंतर्गत विधिवत् रूप से रजिस्ट्रीकृत है अथवा अनुज्ञप्ति प्राप्त है और वह सुनिश्चित करेगी कि खाद्य सुरक्षित और संतुलित है।

3) स्कूल अहाता में खाद्य बेचने अथवा उसकी आपूर्ति करने वाले खाद्य कारोबारी खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारोबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियमं, 2011 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट अनुसूची 4 के अनुसार

साफ–सफाई और स्वच्छता रीतियों, खाद्य सुरक्षा डिस्प्ले बोर्ड और खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षक(कों) संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित कराएँगे।

4) स्कूल प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगी कि स्कूल परिसर अथवा अहाता में कोई व्यक्ति उच्च सैच्युरेटिड फैट अथवा ट्रांस फैट अथवा योजित शर्करा अथवा सोडियम वाले खाद्य उत्पाद नहीं बेचेगा अथवा बिक्री के लिए पेश नहीं करेगा, जिसमें मुफ्त बिक्री सम्मिलित है, अथवा उनकी बिक्री की अनुमति नहीं देगा।

5) स्कूल प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगी कि स्कूल के प्रवेश द्वार पर "स्कूल परिसर अथवा कैंपस में उच्च सैच्युरेटिड फैट अथवा ट्रांस–फैट अथवा योजित शर्करा अथवा सोडियम वाले खाद्य उत्पाद न बेचें, जिसमें मुफ्त बिक्री सम्मिलित है, अथवा उनका विपणन अथवा विज्ञापन न करें" सामग्री वाला अंग्रेजी या भारतीय भाषा वाला बोर्ड, जो भी लागू हो, दृश्यमान स्थान पर लगा हो।

6) स्कूल प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगी कि स्कूल के कंप्यूटरों पर उच्च सैच्युरेटिड फैट अथवा ट्रांस–फैट अथवा योजित शर्करा अथवा सोडियम वाले खाद्य का कोई विज्ञापन बैनर अथवा वाल पेपर न हो।

4. स्कूल परिसर में और उसके आस–पास सुरक्षित खाद्य और संतुलित आहार को बढ़ावा

1) खाद्य प्राधिकरण अथवा राज्य खाद्य प्राधिकारी स्कूलों को स्कूल के बच्चों में सुरक्षित खाद्य और संतुलित आहार को बढ़ावा देने का एक व्यापक कार्यक्रम अपनाने तथा स्कूल परिसर को 'ईट राइट कैंपस' में बदलने के लिए विहित बेंचमार्क प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, जिनमें सुरक्षित और संतुलित आहार, स्थानीय और मौसमी खाद्य परोसने और खाद्य को बरबाद न होने देने पर ध्यान केंद्रित हो।

2) स्कूल प्राधिकरण राष्ट्रीय पोषण संस्थान और अन्य विशेषज्ञ संस्थाओं अथवा प्राधिकरणों द्वारा जारी किए गए "भारतीयों के लिए आहार संबंधी दिशा–निर्देश – मैनुअल" पर आधारित स्कूल कैंटीन/ भोजनालय/रसोई में सुरक्षित और संतुलित आहार को प्रोत्साहित करेगी और बढ़ावा देगी।

3) स्कूली प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगी कि स्कूल परिसर में तैयार स्कूल आहार की आपूर्ति करने वाले खाद्य कारोबारी परोसे/बेचे जाने वाले खाद्य की पहचान और उनका चयन अनुसूची में दिए गए व्यापक दिशा–निर्देशों और खाद्य प्राधिकरण अथवा राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार हो।

4) स्कूल प्राधिकरण आवधिक रूप से पोषण विज्ञानियों, आहार विज्ञानियों, पोषण संघों की सेवाएँ ले सकती है अथवा बच्चों के लिए मेनु बनाने में उनके माता–पिता की सहायता ले सकती है।

5) 24 माह की आयु तक के बच्चों या शिशुओं के लिए शिशुशाला या दिन परिचर्या में भी उनके द्वारा सुरक्षित और संतुलित आहार देनी की अपेक्षा की जाती है।

5. स्कूली बच्चों में खाद्य का विपणन और विज्ञापन तथा बिक्री

1) स्कूल परिसर अथवा अहाता में कोई व्यक्ति उच्च सैच्युरेटिड फैट अथवा ट्रांस फैट अथवा योजित शर्करा अथवा सोडियम वाले खाद्य उत्पाद नहीं बेचेगा अथवा बिक्री के लिए पेश नहीं करेगा, जिसमें मुफ्त बिक्री सम्मिलित है, अथवा उनकी बिक्री की अनुमति नहीं देगा।

2) स्कूल परिसर अथवा अहाता में स्कूली बच्चों में खाद्य विपणन के समय खाद्य कारोबारी प्रचालक-

क) केवल उन खाद्यों, आहारों के साथ प्रीमियम अथवा प्रोत्साहनों, जैसे खिलौने, ट्रेडिंग कार्ड, परिधान, क्लब सदस्यता, प्रतियोगिताएँ, न्यून–मूल्यित खाद्य, अथवा कूपनों की पेशकश करेगा जिनमें सैच्युरेटिड फैट अथवा ट्रांस–फैट अथवा योजित शर्करा अथवा सोडियम अधिक मात्रा में न हो;

ख) केवल उस खाद्य के लिए बच्चों के खेलों, स्कूली व अन्य समारोहों में प्रायोजन का उपयोग करेगा जिनमें सैच्युरेटिड फैट अथवा ट्रांस–फैट अथवा योजित शर्करा अथवा सोडियम अधिक मात्रा में न हो;

3) खाद्य कारोबारी प्रचालक स्कूलों में संतुलित आहार को बढ़ावा देंगे और स्कूल अहाता में कहीं भी ऐसे खाद्य का विपणन, बिक्री नहीं करेंगे अथवा उसका वितरण नहीं करेंगे जिसमें सैच्युरेटिड फैट अथवा ट्रांस–फैट अथवा योजित शर्करा अथवा सोडियम उच्च मात्रा में हो, जिसमें निम्नलिखित माध्यम सम्मिलित हैं :

(क) बिक्री मशीनों पर/में लोगो, ब्रांड नाम, स्पोक–करैक्टर, उत्पाद नाम, अथवा उत्पाद विपणन; पुस्तकें, पाठ्यक्रम अथवा अन्य शैक्षणिक सामग्रियाँ; स्कूल को आपूर्तित सामग्रियाँ; पोस्टर; पाठ्य पुस्तकों के कवर; और स्कूल सम्पदा जैसे स्कोरबोर्ड, साइन, खेल के मैदान, बसें और इमारतें।

(ख) खाद्य सामग्री के पुरस्कार वाले शैक्षणिक प्रोत्साहन कार्यक्रम।

(ग) उच्च सैच्युरेटिड फैट अथवा ट्रांस–फैट अथवा योजित शर्करा अथवा सोडियम वाले खाद्य की सीधी बिक्री।

(घ) मुफ्त नमूने अथवा कूपन।

(ङ) स्कूल के लिए वित्त जुटाने की गतिविधियाँ।

6. मॉनिटरिंग और निगरानी

1) स्कूल प्राधिकारी विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित, संतुलित और स्वच्छ खाद्य सुनिश्चित कराने के लिए परिसर का नियमित निरीक्षण करने की योजना बनाए। स्कूल प्राधिकरण कोई स्वास्थ्य और तंदरुस्ती एम्बेसडर अथवा स्वास्थ्य और तंदरुस्ती टीम नियुक्त कर सकती है जो सुरक्षित, संतुलित और स्वच्छ खाद्य की उपलब्धता को मॉनिटर करने के लिए नोडल व्यक्ति का काम करेगा(गी)।

2) राज्य खाद्य प्राधिकारी अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए इन विनियमों में कवर्ड खाद्य कारोबारियों पर निगरानी रखेगी और उनका सावधिक निरीक्षण करेगी।

3) राज्य खाद्य प्राधिकरण के अलावा अधिसूचित अन्य कोई सार्वजनिक प्राधिकरण, जैसे किसी क्षेत्र के नगर निगम अथवा अन्य कोई स्थानीय संस्था अथवा पंचायत, इन विनियमों के उप–विनियम 5 (1) का अनुपालन सुनिश्चित कराएगी।

4) स्कूल प्राधिकरण द्वारा इन विनियमों के उपबंधों का बिना किसी तर्कसंगत आधार के अनुपालन न किए जाने पर केंद्रीय अथवा राज्य खाद्य प्राधिकरण उस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने हेतु मामले को संबंधित शिक्षा विभाग और/अथवा प्रत्यायन संस्था को भेजेगी।

5) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 के उप–विनियम 2.1.15 के अधीन गठित राज्य स्तरीय सलाहकार समिति (एस.एल.ए.सी) इस विनियम के क्रियान्वयन को मॉनिटर करने और स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित और स्वास्थ्यकर खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए एक उप–समिति बनाएगी।

6) उप–समिति में स्कूली शिक्षा विभाग तथा खाद्य और पोषण के क्षेत्र के जन स्वास्थ्य पेशेवर के प्रतिनिधि होंगे। उप–समिति की वर्ष में कम से कम दो बैठकें होंगी।

7) उप–समिति उस क्षेत्र के लोगों के आहारों में स्थानीय अंतरों पर आधारित तथा इन विनियमों की **अनुसूची** में विहित व्यापक दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य की स्कूल कैंटीनों/भोजनालयों/रसोइयों में परोसे/बेचे जाने वाले खाद्य समूहों और निर्मितियों की संकेतात्मक सूची की अनुशंसा करेगी।

अनुसूची

[विनियम 4(3) और 6(7) देखें]

बच्चों को सुरक्षित खाद्य और संतुलित आहार उपलब्ध कराने के सामान्य दिशा–निर्देश

- बच्चों में खान–पान की स्वास्थ्यकर आदतें डालने के लिए स्कूलों में भोजनावकाश अनिवार्य रूप से हो।
- सभी विद्यार्थियों को सुरक्षित पेय जल निशुल्क उपलब्ध कराया जाए।
- सिद्धांत रूप में सप्ताह में खाद्य अदल–बदल कर दिया जाए। स्कूल के मेनु में बच्चों के लिए धान्य और प्रोटीन दोनों हों तथा उनका आहार सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर हो।
- साबुत अनाजों, दालों, मिलेटों, पशु–मूल के खाद्यों, जैसे दूध, अंडा इत्यादि सभी का उपयेाग किया जाए। भोजन के लिए ताजा, मौसमी और स्थानीय खाद्य पदार्थों का प्रयोग किया जाए।
- खाना पकाने के तेल या घी का प्रयोग नियंत्रित रूप में किया जाए। पुनः गर्म की गई वसाओं और तेलों का प्रयोग न किया जाए।
- आहारों को अधिक पोषक बनाने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य सुदृढ़ीकरण) विनियम, 2018 के अनुसार पौष्टिकीकृत गेहूँ के आटे, चावल, दूध, खाद्य तेल और दुहरे पौष्टिकीकृत नमक का प्रयोग किया जा सकता है।

खाद्य पदार्थों के चयन संबंधी सामान्य मार्गदर्शन

क्रम सं.	मेनु में सम्मलित करने हेतु	खाद्य पदार्थों और बीवरेज की सूची*
1.	मेनु में सदा रहे – 75-80% तक खाद्य इस श्रेणी से हो	1. **धान्य, मिलेट और दालें** – यथा चोकर वाला गेहूँ का आटा, चावल, मिलेट (रागी, बाजरा इत्यादि), फलियाँ (सभी दालें और बीन्ज) 2. **दूध, दुग्ध उत्पाद, अंडा, मांस और मछली** – दूध, दही, योगर्ट, लस्सी, छाछ, पनीर, अथवा दुग्ध उत्पाद, बिना चर्बी का मांस, चिकन, मछली, अंडा 3. **फल और सब्जियाँ** – सब्जियाँ (हरी पत्तेदार सब्जियाँ, अन्य सब्जियाँ और कंद–मूल), ताजा फल (स्थानीय और मौसमी)

		4. **तेल, वसाएँ, गिरियाँ और तिलहन** – अखरोट, बादाम, पिश्ता, नमक या शर्करारहित भुनी गिरियाँ, मूँगफली, तिल 5. **प्रसंस्कृत/पके हुए खाद्य** – बिना योजित शर्करा के ताजा सूप, दलिया, बीवरेज, हिलाकर तली हुई सब्जियाँ, स्नैक्स – उबले, बेक किए हुए अथवा भाप से पकाए हुए, धान्य अथवा दाल–आधारित चीजें, जैसे इडली, उपमा, पोहा, खंडवी, ढोकला, चीला, नमकीन दलिया इत्यादि।
2.	कभी–कभी खाने के लिए – थोड़ी मात्रा में और कदाचनिक (उदाहरणार्थ सप्ताह में एक बार)	1. **डेजर्ट**–आइस–क्रीम, दूध–आधारित और डेयरी– आधारित मिठाइयाँ/डेजर्ट 2. **पैक्ड खाद्य** – पनीर, डिब्बाबंद और परिरक्षित सब्जी, पैकेजबंद मांस अथवा मछली उत्पाद, फल/सब्जियाँ/धान्य/ दाल–आधारित स्नैक्स, गिरियाँ और बीज 3. **बेकरी उत्पाद** – सफेद ब्रेड, बिस्कुट 4. **बीवरेज** – पैकेजबंद सूप और जूस, धान्य अथवा माल्ट–आधारित बीवरेज, सुवासित सोया दूध इत्यादि।
3.	स्कूल, छात्रावास में उपलब्ध न कराए जाएँ	उच्च सैच्युरेटिड फैट अथवा ट्रांस–फैट अथवा योजित शर्करा अथवा सोडियम वाले खाद्य उत्पाद

*उत्पादों की यह सूची केवल दृष्टांत के रूप में है ।

अरुण सिंघल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन– III/4/असा./211/2020–21]

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Food Safety and Standards Authority of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th September, 2020

F. No. 15(1)2016/School Children Regulation/Enf/FSSAI.—Whereas the Food Safety and Standards (Safe food and healthy diets for School Children) Regulations, 2019 were published as required under sub-section (1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), *vide* notification No. 15(1)2016/School Children Regulation/Enf/FSSAI, dated the 30th October, 2019, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas copies of the said Gazette were made available to the public on the 4th November, 2019;

And whereas objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Food Safety and Standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (v) of sub- section (2) of section 92 of the said Act, the Food Safety and Standards Authority of India with the previous approval of the Central Government hereby makes the following regulations, namely:-

REGULATIONS

1. **Short title and commencement**.- (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Safe food and balanced diets for children in school) Regulations, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette and food business operator shall comply with all the provisions of these regulations with effect from 1st July, 2021, except sub-regulation (5) of regulations 3 and sub-regulation (1) of regulations 5

which shall come into force only from such date as the Food Authority may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Definitions -(1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-

(a) **"Act"** means the Food Safety and Standards Act, 2006;

(b) **"Department of School Education"** means the nodal department of concerned Central or State or Union Territory administration that looks after the school education irrespective of nomenclature;

(c) **"Food handler"** means a person who directly handles packaged or unpackaged food, food preparation equipment and utensils or food contact surfaces;

(d) "**food safety**" means assurance that food is acceptable for human consumption according to its intended use;

(e) **"Food Safety Display Board"** means an informative board displaying the Food Authority registration or license number of the food business operator, basic food hygiene and safety tips to be complied by the said operator and mechanism for obtaining consumer feedback on the quality and safety of the food offered by it;

(f) **"Food Safety Supervisor"** means a person appointed by the food business operator and holds a valid food safety certificate of training approved by the Food Authority;

(g) **balanced diet"** is one which provides all the nutrients including the essential micro nutrients in required amounts and proper proportions;

(h) **"Schools"** means all types of schools whether pre-primary, primary, elementary, secondary, day care or as the case may be, crèche (excluding crèches or day care for infants or children up to the age of twenty-two months), or boarding run by private entities, local bodies, government or aided by government;

(i) **"School Authority"** means Head of the Institution such as Principal, Headmaster, etc., Governing Body, Trust or any other entity set up to govern and manage the school;

(j) **"School campus"** means, for the purpose of these regulations, all areas of the property under the jurisdiction of the school that is accessible to students during the school hours and for residents of boarding schools or hostels;

(k) **"School meals"** means all food and beverages sold or supplied in the school campus through canteens, school mess, hostel kitchens, vending machines or any other method and include all meals served through mid-day meal kitchens and catered for students by the school;

(2) All other words and expression used herein and not defined, but defined in the Act, rules or regulations made thereunder, shall have the meanings assigned to them in the Act, rules or regulations, respectively.

3. Responsibilities of School Authority to ensure safe food and balanced diets on school premises.- (1) School Authority selling or catering school meals by itself in the school campus shall get registered as a food business operator from the concerned authority under the provisions of the Act , rules or regulations made thereunder and ensure that the food is safe and balanced.

(2) Any School Authority entering into a contract or transaction with a food business operators (FBOs) selling or catering school meal on school campus shall ensure that such FBOs are duly registered or licensed under the provisions of the Act, rules or regulations made thereunder and ensure that the food is safe and balanced.

(3) The Department of School Education shall ensure that all FBOs contracted by it for operation of the mid-day meal scheme are registered or licensed under the provisions of the Act, rules or regulations made thereunder and ensure that the food is safe and balanced.

(4) The FBOs selling or catering food on school campus shall ensure compliance to the requirements of sanitary and hygienic practices provided to the food manufacturers in Schedule 4, Food Safety Display Board and Food Safety Supervisor(s) as specified under the Food Safety Standards (Licensing and Registration of Food Businesses) Regulations, 2011.

(5) School Authority shall ensure that no person shall sell or offer for sale including free sale, or permit sale, of food products high in saturated fat or trans-fat or added sugar or sodium in school premises or campus.

(6) School Authority shall ensure that the board containing warning "Do not sell including free sale or market or advertise the food products high in saturated fat or trans-fat or added sugar or sodium within school premises or campus" in English or one Indian language as applicable, is displayed prominently at the entrance gate or gates of the school.

(7) School Authority shall ensure that there shall not be any advertisement banner or wallpaper of food which is high in saturated fat or trans-fat or added sugar or sodium on school computers.

4. Promotion of safe food and balanced diet in and around school campus.- (1) The Food Authority or the State Food Authority shall encourage schools to adopt a comprehensive program for promoting safe food and balanced diets amongst school children and meet specified benchmarks to convert school campus into 'Eat Right Campus' that focus on serving of safe food and balanced diet, local and seasonal food and no food waste.

(2) The School Authority shall encourage and promote consumption of a safe and balanced diet in the school canteen or mess or kitchen based on guidance from "Dietary guidelines for Indians – A Manual" issued by the National Institute of Nutrition and other expert institutions or authorities.

(3) The School Authority shall ensure that the FBOs supplying prepared school meals in the school premises is are identified and selected foods which can be served or sold on the basis of the broad guidelines given in the Schedule to these regulations and as per the directions, issued by the Food Authority or the Commissioner of Food Safety of the state.

(4) The School Authority may engage with nutritionists, dietitians, nutrition associations or seek parental support to assist in the drafting of the menu for the children, periodically.

(5) The crèches or day cares for infants or children up to the age of twenty-four months old are also expected to serve safe and balanced diets to them.

5. Food marketing and advertisement and selling to children in school.- (1) No person shall advertise or market or sell or offer for sale including free sale, or permit sale of, food products high in saturated fat or trans-fat or added sugar or sodium in school campus or to school children in an area within fifty meters from the school gate in any direction.

(2) When marketing foods to children in school premises or campus, the FBOs shall.-

(a) only offer premiums and incentives such as toys, trading cards, apparel, club memberships, contests, reduced-price specials, or coupons with foods, meals, which is not high in saturated fat or trans-fat or added sugar or sodium;

(b) use sponsorship of sporting, school, and other events for children only with food which is not high in saturated fat or trans-fat or added sugar or sodium.

(3) FBOs shall support balanced eating in schools and not market, sell, or give away food which is high in saturated fat or trans-fat or added sugar or sodium anywhere on school campuses, including through,-

(a) logos, brand names, spokes-characters, product names, or other product marketing on or in vending machines; books, curricula, and other educational materials; school supplies; posters; textbook covers; and school property such as scoreboards, signs, athletic fields, buses, and buildings;

(b) educational incentive programs that provide food as a reward;

(c) direct sale of food which is high in saturated fat or trans-fat or added sugar or sodium;

(d) free samples or coupons;

(e) school fundraising activities.

6. Monitoring and surveillance.- (1) The School Authority shall have a system of regular inspection of premises to ensure that safe, balanced and hygienic food is served to students. The School Authority may appoint a Health and Wellness Ambassadoror Health and Wellness team, who shall act as the nodal persons to monitor availability of safe, balanced and hygienic food.

(2) The State Food Authority shall conduct surveillance and periodic inspection of food business operators covered under these regulations so as to ensure that compliance of the Act, rules or regulations made thereunder are met.

(3) Any public authority like Municipal Corporation or any other local body or Panchayat in an area, as may be notified, in addition to State Food Authority shall ensure the compliance of sub-regulation (1) of regulation 5 of these regulations.

(4) If the School Authority, without reasonable grounds, fails to comply with the provisions under these regulations, the Central or State Food Authority shall take up the matter with the concerned Department of School Education or Affiliation Body, if any, to take appropriate action.

(5) The State Level Advisory committee (SLAC) constituted under sub-regulation 2.1.15 of the Food Safety and Standards (Licensing and Registration of Food Businesses) Regulations, 2011 shall create a sub-committee to monitor the implementation of these regulations and to ensure availability of safe and wholesome food to school children.

(6) The sub-committee shall include representatives from the Department of School Education, and public health professionals in the field of foods and nutrition. The sub-committee shall meet at least twice in a year.

(7) The sub-committee shall recommend indicative list of food groups and preparations which shall be served or sold in the school canteen or mess or kitchen within the State based on local variations in the diets of people of that area and as per the broad guidelines given in the Schedule to these regulations.

SCHEDULE

[see regulation 4 (3) and 6 (7)]

General Guidance for Providing Safe food and balanced diet to Children

- Meal-times in schools shall be mandatory to inculcate healthy eating habits in children.
- Safe drinking water shall be provided to all students free of cost.
- A variety of foods to be provided across the week, as a general principle. The school menu shall be cereal-protein combination and a micronutrient rich meal for students.
- A combination of whole grains, pulses, millets, foods of animal origin like milk, eggs, etc., shall be used. Fresh, seasonal and local produce shall be utilised for the preparation of the meals.
- Cooking oil or ghee shall be used in moderation. Use of re-heated fats and oils shall be avoided.
- In order to prepare the meals more nutritious, fortified wheat flour, rice, milk, edible oil and double fortified salt may be used strictly adhering the standards specified in the Food Safety and Standards (Fortification of Foods) Regulations, 2018.

General guidance for selection of Foods

S.No.	Inclusion in Menu	List of Foods and Beverages*
1.	Always a part of the menu – 75-80% of the foods should belong from this category	1. **Cereals, Millets and Pulses** – Such as whole wheat grain (atta), rice, Millets (ragi, bajra, etc.), Legumes (all dal and beans) 2. **Milk, Milk products, egg, meat and fish** –milk, curd, yoghurt, lassi, butter milk,paneer, or milk products, lean meat, chicken, fish, egg 3. **Fruits and Vegetables** –vegetables (including green leafy vegetables: other vegetables and roots and tubers) Fresh fruits (Local and seasonal produce) 4. **Oils, fats, nuts and oilseeds** – walnuts, almonds, pistachios, roasted nuts without salt or sugar, groundnuts, sesame seeds, etc.

		5. **Processed/cooked Foods**–Freshly made soup, porridge, beverages with no added sugar, stir fried vegetables, snacks - boiled, baked or steamed, cereal or pulses based such as idli, upma, poha, khandvi, dhokla, cheela, namkin daliya, etc.
2.	To be eaten occasionally – in small portion size and reduced frequency (e.g., once in a week)	1. **Desserts** - Ice-creams, milk-based and dairy based sweet/desserts 2. **Packed foods**- cheese, canned and preserved vegetable, packaged meat or fish products, fruits/vegetables/cereal/pulses based snacks, nuts and seeds. 3. **Bakery Products** - white breads, biscuits, 4. **Beverages** - Packaged soups and juices cereal or malt based beverages, flavoured soya milk, etc.
3.	Not to be made available in the school, hostel, etc.	Food products high in saturated fat or trans-fat or added sugar or sodium.

* These lists of products are illustrative only.

ARUN SINGHAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./211/2020-21]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA